

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/एस-2361/2024/81

दिनांक : 23/04/2024

—: आदेश :-

जिन चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण/आदेशों की प्रतीक्षा, आदेशों पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कर पूर्व पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है, उन चिकित्सा अधिकारियों/याचिकाकर्ताओं की सीमा तक, निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-राजप/एएडीओ/2024/102 दिनांक 22.03.2024 को तुरन्त प्रभाव से एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 23/4/2024

क्रमांक : ई/चिअ/एस-2361/2024/81

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) राज0, जयपुर।
4. संबंधित जिला कलक्टर राजस्थान।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, संमस्त जोन-जोधपुर/उदयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर/झुझुनू/उदयपुर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित चिकित्सक।
9. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर